IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

अशोक के स्तम्भलेखों का ऐतिहासिक विष्लेषणात्मक अध्ययन में अषोक कालीन सामाजिक स्थिति

लेखक का नामः– अमित कुमार

Ph.D., M.A., B.Ed

Post Graduate Teacher (History)

Uchcha Madhyamik Vidyalay, Siwaisinghpur, Samastipur

तिब्बतियों की परम्परा के अनुसार बारह साल में एक बार महाकाल चक्र की पूजा बौद्ध लोग साल मे एक बार अवश्य करते है। इसके बारह साल पूरा होने के बाद एक युग पुरा मानते है। दिसम्बर 1985 में यह उत्सव के रूप मे बोधगया में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया गया था।

नेपाल में भी महाकाल चक्र की पूजा करते है। पर्व मनाते है। नेपाल में महाकाल के विग्रह की पूजा का उत्सव होता है। सम्राट हर्षवर्धन के समय का बैल का जो चित्र मिला जिससे यह बुद्व की समृध्दि का प्रतीक है। अशोक सम्राट के शासनकाल में हर तीसरे साल अशोक स्वयं आज्ञा दे कर करवाता था।

ह्वेनसांग के विवरण से भी ज्ञात होता है कि यहां तीर्थ स्थल रहा होगा। उसनें भी यही कहा भूमि के बारे में लिखा है कि भारत की भूमि बहुत ही उपजाउ और विभिन्न प्रकार की है। उज्जैन मे बौद्ध सम्मेलन अशोक ने हर तीसरे साल करवाया उज्जैयिनी का नाम बडे ही गर्व से लिया जाता है। यहा धार्मिक उन्नति के साथ साथ आर्थिक समपन्नता भी थी।

हेनसांग भारत में 629 से 645 ई पू तक रहा एव बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करता रहा वह बौद्व धर्म के स्तुपों के बारे में भी अध्ययन करता रहा। राजकुमारी चन्द्रलेखा उज्जयिनी के ब्राह्मण धर्म की होने के कारण बौद्व धर्म के नियमो को भली प्रकार समझती थी। उसने बौद्व धर्म का अनुसरण किया। चन्द्रलेखा का विवाह वलभीपुर के राजकुमार ध्रुवसेन से हुआ जो कि बोद्व धर्म में विश्वास होने के कारण बुद्व की शिक्षाऐं इनके लिए ईश्वर का आदेश थी। बौद्ध भिक्षुणियों में कण्डी, धर्मयशा, वसुमित्रा, रिसभा, आर्यजिनदत्ता, देवला, मित्रा, व्यामिका, संघदासिका, देवला, मित्रा, नजा, अश्वरक्षिता, पुसयिणी, वायुदत्ता, बुद्वा, सिंहदत्ता, बलिकामाता, सुलासा, पुस्यिणी, जया, क्षेत्रमाता, अश्वरक्षिता, बलिकामाता, सुलासा, संधका, संघदत्ता, मंगल कटिका, मित्रमाता, मूलदत्ता, हिमदत्ता, बलिका, विश्वा, बसुला, सुलासा, पुस्यिणी जया, क्षेंत्रमाता, अश्वरखिता , सोने आदि विभिन्न काल समयों मे बौद्ध भिक्षुणियों हुई जिन्होंने बौद्व धर्म को अपनाया और उनके उपदेशों एवं शिक्षाओं को जनता तक फैलाया।

वैराग्य प्राप्त स्त्रियों ने जाति, वंश, सामाजिक स्तर, लिंग भेद आदि के प्रतिबंध को तोडकर बौद्ध भिक्षु बन कर प्रचार भी किया। जीवन के समस्त लौकिक सम्बंधों एवं आनन्दों का परित्याग करके तत्कालीन राजाओं ने एव बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। राज्यों को अब मठों को और विहारो पर नियन्त्रण रखता पड़ता था। राज्यों को जो भी आर्थिक लाभ मिलता था वह उसे जनता के लिए एवं धर्म कार्य में लगाा देता था। जिससे राज्य भी सम्पन्न हुए और जनता में धार्मिक सहिस्णुता भी बनी रही। मांस, मदिरा का सेवन बोद्व धर्म में वर्जित होने के कारण भी पशु हत्या कम हो गई।

24 बलि देने वाले पषु का केवल गला कांटा जाता था।

(मैगस्थिनीज का भारतवर्षीय वर्णन आचार्य षुक्ल मध्य प्रदेष हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल प्रथम संस्करण 2004 पृ 40)

25 जो हिंसक जीवों को अपने लाभ के लिए उनकी हत्या करता है वह कभी सुख नहीं पाता है।

(मनुस्मृति पं हरगोविन्द षास्त्री चौखम्भा संस्कृत भवन वाराणसी विक्रम संवत् 2069 पृ 247 पंचम अध्याय ष्लोक नं 45.46)

पशुओं का उपयोग कृषि कार्यो में एवं घरों में पालने के लिए होता था। सूत्तनिपात पाली ग्रन्थ में पाटलीपुत्र तक जाने वाला मार्ग के बारे में वर्णन मिलता है। यह अशोक के काल में था। यह अशोक के अभिलेखों से प्राप्त होता है सूत्तनिपात में पतिठान, महिस्मति, कुसिनगर, पास, भोजनगर, वेसति एवं मगधपुर होते हुए पाटलीपुत्र आने का मार्ग बताया गया था।

अशोक काल के सांस्कृतिक पक्ष को सुस्पष्ट करने के लिए अंशोककालीन इतिहास को देखना आवश्यक है। अशोक के प्रारभिक जीवन पर अभिलेख के प्रमाण से प्रकाश नहीं पड़ता। बौद्ध सहिता के ग्रंथों से उसके पिता बिन्दुसार एवं माता सुभदांगी के बारे में पता चलता है। इसलिए यह जनता के लिए सरल व्यावहारिक एवं अनुकरणीय था। धार्मिक स्वतत्रता थी। इस बात से यह प्रमाणित होगा कि जिस मनुष्य का हदय अपने साथियों एवं संबंधियों के लिए इतना कोमल है वह अवश्य ही एक अंच्छा इंसान होगा। अशोक के दानी प्रवृत्ति के होने से भी देश में दानप्रथा का भी अस्तित्व रहा होगा।

प्रारम्भ में अशोक को क्रूर राजा कहा गया है। क्रूरता की इतनी भयावह कि वह राजा नही हो सकता। साहित्य के वर्णन कुछ असत्य भी हो सकते है किन्तु अभिलेखो में अशोक के राज्य प्राप्ति एवं राज्याभिषेक के बीच चार वर्ष का अंतर राज्याभिषेक सघर्ष की कहानी पर प्रकाश डालते है। अभिलेख में अशोक को एक प्रिय राजा का नाम से अभिहित किया गया है। बौद्ध, ब्राह्मण आजैविक जैन, सभी सम्प्रदायों को राजा का प्रश्रय प्राप्त था। उन्हें बहुत दान एवं सम्मान दिया जाता था। अशोक ने अपने सीमावर्ती, पड़ोसी तथा विदेशी राज्यों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किये थे। धार्मिक उत्पादन हेतु स्तूपो एवं गुहावासों का निर्माण होता था एवं अधिकारी दौरे पर जाते थे। उसने साम्राज्य की सीमाओं पर राज्यों के पर्याप्त स्वतंत्रता दे रखी थी। कांधार अभिलेख में उसका वर्णन आता है। यह भी कहां गया है अशोक के स्वतंत्रता का उल्लेख है। इस प्रकार का उल्लेख मास्की और गुजरात के अभिलेख में आता है अभिलेख में सभी एक ही रानी कारूवकी तथा पुत्र तीवर का उल्लेख है। अन्य से व्यवसाय जो अशोक के पूर्व मौर्य काल में थे, प्रचलित रहे होंगे किन्तु अभिलेख से इस पर प्रकाश नहीं पड़ता है।

अशोक के राज्यभिषेक की तिथि 258 ई0 पूर्व या 265 ई0 पूर्व है। यह बोगार्ड लेविन महोदय ने बताई है। अशोक के राज्यभिषेक की तिथि के संबंध में भी विद्वानों में अलग–अलग मत प्रस्तुत किए है। किन्तु अभिलेखो में उल्लिखित समकलीन राजाओं के तिथियो के विश्लेषण से अशोक के राज्यभिषेक की तिथि 268 ई0 पूर्व मानी जा सकती है।

कलिंग युद्व में उसने अपने अभिषेक के आठ वर्ष बाद कलिग विजय किया था। यह उसकी एक मात्र विजय थी। अभिलेखों के अनुशीलन से पता चलता है कि कृषि और पशुपालन अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ थे। इस युद्ध के बाद विजेता अशोक ने युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग कर धर्म की होने वाली विजय किया। खरोष्ठी लिपि का प्रयोग केवल शाहबाजी ओर मानसेहरा में हुआ है। अशोक का बना हुआ साम्राज्य बहुत बडा था। अभिलेखो में साम्राज्य के विषय में प्राप्त जानकारी होने से सिद्ध हो जाती है।

किसी साम्राज्य के सफल प्रशासन हेतु उसका विदेशो एवं सीमावर्ती पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध महत्वपूर्ण होता है। अशोक कालीन समाज समृद्ध एवं सुव्यवस्थित तो था ही साथ ही विकास के पथ पर भी अग्रसर था। जीवन की आदमी और श्रेष्ठतम् नैतिकता का समाज में मुख्य स्थान था। अशोक कुमुद मुखर्जी अशोक के राज्यभिषेक की तिथि 270 ई0 पूर्व बताते है। दशालुप्त ,उदारता ,दान सत्कार सहिष्णुता, अहिसा और दर्शन जैसे श्रेष्ठतम मूल्यो के उत्थान पर अत्यधिक जोर दिया जाता था। व्यर्थ के रीति रिवाजों को सदा विर्जित किया गया था। उन मनोरंजन के साधानो में भी प्रजा को लिप्त नहीं करने के लिए साधनों का निषेध किया गया था। जिनमें पशु हत्या एवं मदिरापान होता था। अशोक को प्रजा को उदारवादी बनाने के लिए प्रजा को धर्म से जोडे रखना अति आवश्यक था।

वह अपनी प्रतिभा के बल पर अपने पिता के शासन काल से उज्जैन और तक्षशिला का राज्यपाल रह चुका था। समाज में चार वर्णो ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शुद्र का अस्तित्व था। जहॉ तक आश्रम व्यवस्था का प्रश्न है, ? यह सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। संभवतः यह भूमि की उर्वरा शक्ति के अनुसार तय होती थी। अभिलेखों में केवल दो आश्रम, गृहस्थ और समाज के स्पष्ट उल्लेख है किन्तु मोक्ष आदि के विवरण से लगता रहता है। किन्तु अशोक का धर्म मे अटूट विश्वास था। इसके अभिलेखीय प्रमाण भी है। सती प्रथा एवं वेश्यावृत्ति का प्रचलन भी था कहना कठिन है। पर्दा प्रथा का राज्यों राजधरानों में कुछ हद तक प्रचलित भी हो किन्तु जनसमान्य में इसका प्रचलन नही था। वे वही जनकल्याणकारी कार्य हेतु चिकित्सा सेवा सुलभ कराते थे साथ ही धर्म की भी प्रषस्ति करते थे। पुत्र कुणाल,महेन्द्र, जालौक,तीवर और पुत्री संधमित्रा और पारूमत्ती थी। नारियो की स्थिति पर अभिलेख प्रकाश नही डालते।

माता के रूप में नारी को समाज में सर्वोत्कृष्ट स्थान है अशोक ने स्वयं कहा है कि वह अपनी प्रजा को अपनी माता की तरह सेवा करना चाहता है। आदर सम्मान का प्रस्तुति दिखाना था। जिसे अशोक ने धर्म समाज कहा था। अशोक के अभिलेखों के अध्ययन से तत्कालीन समाज की संस्कृति विविध पक्ष स्पष्ट उजागर हो जाते है। अशोक के समय गीत, संगीत ,नृत्य एवं युद्ध होता था। अशोक ने प्रतिबंधित कर दिया था। वह उससे प्रजा में पैसे व्यर्थ का खर्च मानता था। हिरण, मृग, मछली आदि को बडें चाव से खाया जाता था। जो उसे गलत लगता था। पेय पदार्थो में दूध एवं मंदिरा का प्रमुख स्थान था। इससे पारिवारिक कलह बढता था। किन्तु प्रतीत होता है। धर्म के प्रचारार्थ लोकहित में अनेक कार्य किए जाते थे साथ ही ऐसे आदर्श और व्यवहार, अपनाए जाते थे कि अशोक के सदप्रयासों से जनता में इसके प्रति धर्म आचरण में बदलाव आए और परिवर्तित सामाजिक परिवेश में जनता शाकाहार की ओर उन्नमुख हुई होगी। किन्तु अभिलेख से शाकाहारी भोजन पर प्रकाश नही पड़ता है। इसमें शाकाहारी भोजन जनता करती थी इस बात का पता नही चलता।

उसके सौ भाई थे। अभिलेख में उसने भाई–बहनों के अन्तपुरो का उल्लेख किया है एवं उनके प्रति प्रेम प्रदर्शित किया है। सारी सुविधाओ के मध्य अशोक के भाई बहनों का लालन पालन हुआ था। अशोक अपनी प्रजा को संतान तुल्य मानता था। वह उसके हित एवं सुख हेतु हमेशा चिंतित रहता था। वह प्रजा के प्रतिवदेन को सुनने हेतु हमेशा तत्पर था। जिसके लिए उस समय अस्पताल एवं औषधियों की व्यवस्था थी। उसके शासनकाल में कैदियों के साथ भी उचित व्यवहार किया जाता था। निरपराधी को दंड न मिले उसका प्रयत्न किया जाता था। गृहस्थी, अनाथों और अशक्त वृद्धों को क्लेश से मुक्ति दिलाने हेतु उनके हित व सुख की कामना अवश्य की जाती थी। जो अनिवार्य् भी था।

देखा जाए तो धार्मिक दृष्टि से अशोक का काल संसार के इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। अशोक ने धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अनेक कार्य किए थे। अशोक के व्यक्तिगत धर्म के विषय में विद्वानों में मत मतान्तर पाया जाता है। उसके काल में धार्मिक प्रवृत्तियों का व्यापक प्रचार–प्रसार हुआ था। जिसे लेकर एक मत नहीं है।

टी.एल.शाह उसे जैन मतावलम्बी मानते है। डॉ, स्मिथ, दीक्षितार, मैकफंल, फादर हेरास एवं एच.एच. विल्सन उसे ब्राह्मण धर्मानुयायी मानते है, किन्तु अशोक के अभिलेखों में इतने शासक मौजूद है अशोक के अभिलेखों में उसकी तिथियां अंकित होने से भी यह कहा जा सकता है कि अलग मत होने से भी प्रमाण मान्य होगे। जिससे उसका बौद्ध धर्मावलम्बी होना सिद्ध हो जाता है। अशोक ने प्रजा मे जिस धर्म का प्रचार

किया, निश्चित रूप से उसका तादात्म्य किसी धर्म विशेष से नहीं जोड़ा जा सकता। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी होने के साथ ही वह सभी धर्मो में भी विश्वास रखता था। उसके धर्म में ब्राह्मण, जैन एवं बौद्ध धर्म की वह सभी अच्छाइयाँ विद्यमान थी, जिसके कारण जो प्रत्येक वर्ग के लिए मान्य थी। अतः वह सभी धर्मो का सार था।

अशोक ने किसी साम्राज्य के सफल प्रशासन हेतु उसका विदेशों एवं सीमावर्ती पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध महत्वपूर्ण होता है। उसका धम्म शुद्ध नैतिक आचरण, व्यवहारिकता और सरलता से भरा हुआ है। सम्प्रदायिकता, दर्शन और कर्मकांड की बुराईयों से दूर उसमें सदाचार की सीधी–सादी बातें है। धार्मिक स्थलो की तीर्थयात्रा का अधिक प्रचलन था। अमोद प्रमोद हेतु नाटकीय प्रदर्शन विज्ञान, इतिहास एवं अविश्वसनीय दृश्य की आयोजन किया गया था। अहिंसा की नीति लागू की गई थी। बाद में भी इसमें किन्तु इसका पूर्णतः पालन न हो सका था। अशोक की पांच रानियां असधिमित्रा , देवी, पद्मावती , कारूवाकी एवं तिष्यरक्षिता धर्म की वृद्धि हेतु जनता को धर्मश्रावण कराया जाता था। इहलोक और परलोक की धारणा कायम थी जिसने मानव में अराजकता नहीं फैली। ब्राह्मणो को दान देने का प्रचलन था। सभी धर्मो के आदर एवं सम्मान के कारण समाज में धार्मिक सद्भाव बना हुआ था। जिससे राष्ट्र और समाज के हित के साथ–साथ सीमावर्ती, पड़ोसी एवं विदेशी राज्यों का भी हित होता था जो सर्वमान्य भी था। बी.एम. बरूआ के अनुसार उसके राज्यभिषेक की तिथि 256 ई0 पूर्व या 255 ई0 पूर्व.मानी गई है।

अशोक को शासन बडी ही कठिनाईयों से प्राप्त हुआ था। अपने पिता का ज्येष्ट पुत्र न होने के कारण उसे अपने भाईयों से संघर्ष करना पड़ा। भाईयों से उसकी अच्छी नही बनने से उसे परिवार में ही सर्वप्रथम युद्व करना पडा। तत्पश्चात उनकी हत्या के फलस्वरूप अशोक को सत्ता प्राप्त हुई। इसलिए अशोक को अपने भाईयों का हत्यारा भी माना जाता है। अशोक कालीन कलात्मक स्तंभ एवं स्तूप से उस काल की सुसमृद्ध आर्थिक स्थिति पता होती है। मुद्रा व्यवस्था पर अभिलेख प्रकाश नहीं डालते। किन्तु कुएँ, खुदवाना, आम्रवाटिकाएँ लगवाने ब्राह्मणों एवं श्रमणों को दान देना, चिकित्सा व्यवस्था करना, आदि से विदित होता है भूमिकर के अलावा धार्मिक कर भी लगाए जाते थे। किन्तु भूमिकर की दर क्या थी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। मजदूरों की दो श्रेणियों थी। पहली कर्मकार और भृतकों की थी, जो स्वंतत्र रूप से कार्य करते थे। दूसरी श्रेणी दासों की थी। जिसमें दासों में खेती के दास आदि भी आते थे। शिल्पियों के संघों का प्रादुर्भाव हो चुका था। धम्म के प्रचार द्वारा उनके नैतिक और सामाजिक उत्थान की चेष्टा की गयी थी। किन्तु अभिलेख से इस पर प्रकाश नहीं पड़ता है।

अशोक के परिवार के बारे में जानने से यह सिद्ध होता है कि उस समय बाल विवाह, मेल विवाह एवं अर्न्तजातीय विवाह भी था। मार्गों का यथेष्ट विकास हुआ था। अभिलेखों में वर्णित विदेशी राज्यों से अशोक का उनसे व्यापारिक संबंध प्रकट होता है एवं मदिरा व्यवसाय, व्यवसाय, मछली विक्रय व्यवसाय एवं चिकित्सा व्यवसाय का प्रचलन था। राजकर्मचारियों का दौरे पर जाना एवं अशोक द्वारा धर्म यात्रा करना उन्नत परिवहन एवं संचार व्यवस्था का द्योतक है। ये कार्य बिना सुब्यवस्थित मुद्रा व्यवस्था के बिना नहीं किये जा सकते थे। उसकी कुरूपता के कारण उसका पिता उसे नापसंद करता था। पिता का साथ अशोक को नहीं मिलने के कारण भी अशोक पिता से नफरत करता था। किन्तु प्रायः बौद्ध साहित्य में इसी प्रकार की कथा वर्जित है। किन्तु अभिलेखो में इसका साक्ष्य नहीं है।

अशोक के व्यक्तिगत उदाहरण को लिया जाय तो कहा जा सकता है कि समाज में बहुपत्नी विवाह की प्रथा कायम् थी। उसकी कई रानियों का वर्णन भी आता है। वह बात अभिलेख में यथावत द्वितीय रानी कहने से भी सिद्ध होता है। उसने उन्हें क्षम्य अपराधों तक क्षमा दान की घोषणा की थी। जो क्षमा योग्य है। इन राज्यों में धर्म प्रचार हेतु उसने नए अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जिन्हे धर्म प्रचारक भी कहा जाता था। जो वही धर्म प्रचारक दूसरे मंडल भेजते थे। धर्म का प्रचार करने के लिए भी उसने अपने कई सहयोगियों को भारत और भारत से बाहर भी भेजा था। नक्षत्र एवं जादू टोने में विश्वास था।

योग्य विदुषी नारियों को उच्च एवं महत्वपूर्ण पदो पर नियुक्त किया जाता था। यह कहा गया है परन्तु इसके प्रमाण सही नहीं है। अपने शासन काल को उचित बताने के लिए इसे सफल बनाने हेतु उसने लोकहितकारी कार्य किए तथा अपनी धर्माज्ञाओ को शिलाखंडो एवं स्तभो पर उत्कीर्ण करवाकर सम्पुर्ण साम्राज्य में स्थापित कराया जनता को आसानी से समझ में आ जाए इसके लिए उसने जन सामान्य की भाषा का प्रयोग किया गया। जिसकी लिपि ब्राह्मी थी। जो नैतिकता, दानशीलता, सहिष्णुता, उदारता के साथ–साथ सामाजिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक के प्रतीक है। इस प्रकार तत्कालीन अभिलेखों के अध्ययन से अशोक कालीन सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती हैं। जो इतिहास में प्रमुख स्थान रखती है।

धार्मिक सहिष्णुता

26 अभिषेक के बाद दसवें वर्ष में सम्यक ज्ञान के मार्ग पर चला जिसमे उसने बोधितीर्थ की यात्रा की या वह सम्यक् ज्ञान को प्राप्त हुआ। अषोक ने धर्म यात्राऐं भी की।

(अषोक कालीन धार्मिक अभिलेख, गौरीषंकर ओझा एवं ष्याम सुन्दर दास विजय कुमार माधुर भारतीय कला प्रकाषक दिल्ली 2002 पृ 61)

अशोक के बारे में कहा जाता है वह एक महान धर्म प्रवर्तक और धर्म को मानने वाला शासक था। बौद्व धर्म को मानते हुए भी अशोक की प्रबल हार्दिक धार्मिक भावना मानवता के किसी धर्म या संप्रदाय की सीमा में ही सीमित न थी। अशोक का धर्म सहिष्णुता के सिद्वांत को मानता था। अशोक की धर्म की समझ बताती है कि वह सभी धर्मो के साथ समान व्यवहार करता था।

यह प्रमाणित स्रोतो के आधार पर कहा जा सकता है, अशोक ने बाहरी शासको के समान कभी भी धर्म की कटटर नीति का अनुसरण नहीं किया, इसलिए भी अशोक के धम्म को काफी लोगो ने सराहा एवं उसका अनुसरण भी किया। वह बौद्ध धर्म के प्रचार को भारत ही नहीं विदेशो में भी फैलाने में कामयाब रहा। अशोक अपना नाम इतिहास में अमर करना चाहता था तभी तो उसने अपनी नीतियों को विस्तार से जनता तक पहुंचाया और अपनी नीतियों को प्रेम से जनता में प्रसार भी कराया।

27 जो राजा बलषाली है जिसका राज्य षक्ति, दण्ड षक्ति के सहारे निर्भर है उस राजा का राज्य वृक्ष की भांति फलता है।

(मनुस्मृति पं हरगोविन्द षास्त्री चौखम्भा संस्कृत भवन वाराणसी विक्रम संवत् 2069 नवम अध्याय ष्लोक नं 255)

मुगल शासक अकबर ने भी अशोक की नीतियों का अनुसरण करते हुए दिन ए ईलाही धर्म चलाया था। अकबर भी सभी धर्मो के धर्मावलंबियों को बड़ी सहानुभूति के साथ सम्मान दे कर उनके धर्म विचारों को सुनता था। जनता के बीच जा कर उनकी समस्याओं को सुनता था। अकबर बाहरी देश से आने वाले मुगलों की संतान होने के कारण देश की जनता ने उसे अशोक के समान इतना सम्मान नहीं मिल पाया अशोक का हृदय जनता की भावनाओं को समझता था। अशोक के हृदय में किसी के प्रति छल की भावना नहीं थी। अशोक धर्म की नीतियों को तलवार और रक्त से लिखने का इच्छुक न था।

28 प्रियदर्षी राजा ने अभिषेक के तेरहवें वर्ष लिखा है कल्याण कठिन है और जो कल्याण करता है वह बहुत कठिन कार्य करता है। मैने यह कल्याण किया है। अतः जो मेरे वंषज होगे वे भी इसका अनुसरण करेंगे।

(अषोक कालीन धार्मिक अभिलेख, गौरीषंकर ओझा एवं ष्याम सुन्दर दास विजय कुमार माधुर भारतीय कला प्रकाषक दिल्ली 2002 पृ 37)

अशोक सदाचार के गुणों से संपन्न सार्वभौम नैतिक गुण पक्ष को ही समस्त धर्मो के लिए उचित मानता था। यही उसकी असली सफलता है। इसीलिये वह उपने बारहवें शिलालेख में कहता है कि देवताओं का प्रिय दान और पूजा को उतना अच्छा नहीं समझता जितना दान करने से जो पुण्य मिलता है वह उसके कारण मनुष्य का लाभ होता है अशोक के धर्म को सभी संप्रदायों के लोंगों ने समझा अवश्य है परन्तु उसे अपनाया बहुत कम ने ही।

अशोक का धर्म मानवता का धर्म है और जनता को यों कहा जाए तो प्रत्येक मनुष्य को लगता है कि वह एक अच्छा मानव है उसमें दूसरों के प्रति प्रेम और सहयोग की भावना है इसलिए उसे अशोक के धम्म को अपनाया हुआ ही है उसे अलग से अपनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए भी अशोक की धम्म की बाते अलग से धम्म के रूप में अधिक समय तक प्रचलित नहीं रही।

धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझना इतना आसान भी नहीं है परन्तु अशोक ने धर्म सारतत्व की वृद्धि कई प्रकार की है। इसका मूल वाणी का संयम है। इसकी प्रशंसा अशोक द्वारा वार्णित उक्त गुण प्रत्येक धर्म में किसी न किसी रूप में प्रस्तुत होतें है। यह एक सत्य है। जहाँ तक वाणी के संयम का प्रश्न है, इसके विषय में वह तो एसे निश्चित ही है कि वाककटूता मूर्खो का कारण है। उसका महान् दृष्टिकोण और अन्य संप्रदायों के प्रति जितना विस्तृत था यह अद्वितीय है।

धार्मिक संप्रभुता की तौ बात ही क्या वह अन्य संप्रदायों की निन्दा मात्र को वजनीय समझता है। वो मनुष्य जितना प्रचार होता है उसका उतना ही सम्मान होता है। इसलिये बारहवें शिलालेख में अशोक अपनी जनता को वाक्य–संयम को शिक्षा देता हुआ कहता है जनता अपने धर्म को तो माने परन्तु इससे प्रथक वह दूसरो के धर्म को भी जाने उनके रीति रिवाजों को समझे और सबकी भावनाओं का भी सम्मान करे। कि लोग समय–समय पर अपनी संप्रदाय के बाहर और दूसरे संप्रदाय की मान्यताओ का भी सम्मान करें। इसके विपरीत मनुष्यों को उपयुक्त समझने वाली बातों का भी दूसरे संप्रदायों का भी सम्मान करना चाहिये। जिससे दूसरों के प्रति हमारे हृदय में भी सम्मान जागेगा और अराजकता की भावना नहीं पनपेंगी। ऐसा करने से अपने संप्रदाय की और दूसरे के संप्रदाय का उपकार होता है। इस प्रकार अशोक के इस कथन में धर्म सम्राट में धार्मिक सहिष्णुता कूट–कूट कर भरी है जिसे जनता ने अपनाया।

मौर्ययुग में एक राजर्षि द्वारा किये गये इतने प्राचीन राज भी चिर नवीन ही प्रतीत होते हैं। किन्तु इसके विपरीत साचरण से न केवल दूसरे संप्रदाय का उपहार होता है, बल्कि अपने संप्रदाय को भी क्षति पहुंचती है। जो कोई अपने संप्रदाय से अनुराग के कारण इस विचार से कि उसके अपने संप्रदाय का गौरक को अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरे संप्रदाय ही निन्दा करता है वह वास्तव में की बड़ी हानि पहुंचाता है। इसलिये एक दूसरे के वर्ग को सुनने और सुनाने की इच्छा से प्रशंसनीय है।

29 डा. भंडारकर का कथन है कि अशोक का आषय यह है कि यदि विभिन्न संप्रदायों के अनुयायी दूसरे के संपर्क में जायेंगे तो वे एक दूसरे के धर्मों की वह अच्छी बातें सीखेंगे एवं अपनाऐंगे जिससे आपसी भाईचारा बढेंगा और साथ ही सभी की उन्नति होंगी।

(अशोक– पृष्ठ 263)

मनोविनोद मनुष्य की वृद्धि उसके हृदय में कोमल तत्वों का सृजन करता है । इसी वृद्धि में मानव सृष्टि की संगत एवं अन्यों की है । कदाचित अशोक भी अपने शासन को लोकप्रिय बनाने , मानव जीवन के विभिन्न सामाजिक कार्यो को करने तथा पूजा को कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के मनोरंजनों की सृष्टि की थी । ये प्रारंभिक काल में यथासंभव हिंसात्मक थे । वो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अपने जीवन के कुछ वर्षों में वह भी अन्य राजाओं की भाँति मृगया तथा अन्य हिंसात्मक मनोविनोदों को पसंद करता था ।

इसलिए मांसाहार दावतो का होना भी स्वभाविक ही है नृत्य संगीत आदि का होना भी विषय भोगो एवं मदिरा सेवन को दर्षाते है। जीवन के मनोविनोदों के अंतर्गत मृगया के संबंध में आठवें शिलालेख में अशोक का कथन है कि बहुत दिन हुए राजा विहार यात्रा के लिए निकले, इन यात्राओं में मृगया का शिकार और कई प्रकार के दूसरे आमोद – प्रमोद होते थे। यद्यपि अशोक मृगया विहार यात्राओं के संदर्भ में जिन अन्य आमोद – प्रमोदों का वर्णन अशोक करता है , संभवतः इनमें संगीत वादन , नृत्य , युद्धबाद होते होगे । ऐसा प्रतीत होता है कि सम्राट के मनोरंजन करवाने के लिए ऐसी मांसाहार युक्त दावतें भी होती रही होगी , क्योंकि आमोद – प्रमोद का प्रयोग मृगया के संदर्भ में हुआ है ।

राजा ऐसा करता था या नहीं , लेखकों ने मृगवा यात्रा की निन्दा की है । अशोक के राज्याभिषेक के दस सालो के बाद अशोक का हृदय परिवर्तीत हो गया था और वह अहिंसा को मानने लगा था। इस विषय पर अभिलेख प्रत्यक्ष प्रकाश नहीं डालते और न अशोक संबंधी साहित्य में ही इसका वर्णन है तथापि संभव है कि वह अपने पूर्वज चंद्रगुप्त मौर्य की भाँति ही शिकार आदि मनोविनोदों को पसंद करता रहा हो ।

30 बहुत काल बीत गया जीव हत्या और बढों का अनादर बढता गया तो देवों के प्रिय प्रियदर्षी राजा के धर्माचरण से भेरीनाद तथा धर्म का घोघ हुआ और प्रजा को विमान के दर्षन, हाथियों के दर्षन, अग्निस्कंध और अन्य दिवयरूपों के दर्षन कराए गए।

(अषोक कालीन धार्मिक अभिलेख, गौरीषंकर ओझा एवं ष्याम सुन्दर दास विजय कुमार माधुर भारतीय कला प्रकाषक दिल्ली 2002 पृ 26)

महाभारत में भी धृतराष्ट्र का विहार यात्रा का उल्लेख मिलता है किन्तु उसको विहार यात्रा में मृगया या आमोद–प्रमोद की कल्पना करना ही व्यर्थ है , क्योंकि वह नैत्र ज्योतिहीन था । विहार यात्रा संबंध विवरण में केवल शिकार का उल्लेख करता है। जबकि विहार यात्रा का प्रमुख अंग कदाचित शिकार होता था । किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि षिकार करने को इसमें उनके मनोविनोद बनाया होगा ।

मेगास्थनीज चन्द्रगुप्त मौर्य के विषय में लिखता है कि राजा जिन प्रयोजनों के लिए प्रासाद से बाहर जाता है , उनमें से एक है शिकार को जाना । जिसने चन्द्रगुप्त को पृथ्वी का राजा बनाया वह कौटिल्य है।

इसके शिकार पर आने के समय बड़ा आनन्दोत्सव होता है । ये राजा के लिए हानिकारक उल्लेख करते हैं , उनमें मृगया है। अपने अष्टम शिलालेख में ही अशोक का आगे कथन है कि देवताओं के प्रिय राजा प्रियदर्शी ने अपने अभिषेक के दस वर्ष पश्चात् संधि यात्रा की । इस प्रकार धम्मयात्रा की प्रथा पड़ी । इन धर्मयात्राओं में मधुवन और उन्हें स्वर्णदान करना , जनपद वासियों से मिलना था। धम्म संबंधी अनुशासन और प्रश्न करना होता है तब से दैवताओं के प्रिय राजा प्रियदर्शी को दूसरे क्षेत्र में इस प्रकार की यात्राओं में बहुत प्रसन्नता मिलती है ।

इस प्रकार मतानुसार अपने अभिषेक के दस वर्ष बाद अशोक ने संभवत मृगया हिंसात्मक मनोविनोदों का सर्वथा त्याग कर दिया था । अशोक ने अपने प्रथम शिलालेख में जो समाज शब्द का प्रयोग किया है , उसका क्या अर्थ है , यह स्पष्ट नहीं होता । किन्तु इतना तो स्वीकार करना पड़ेगा कि यह मनोविनोद का एकरूप था । इसका अर्थ उत्सव मान सकते हैं। विसेंटस्मिथ का कथन है कि एक उत्सव था जो कि पाटलिपुत्र में कदांचित वर्ष में एक बार मनाया जाता था और जिसमें नाचरंग, गाना बजाना और खाना – पीना और प्रजा का आनंद उत्सव के रूप में किया जाता था ।

उत्सव मानते हैं । इन धर्मयात्राओं में मधुवन और उन्हें स्वर्णदान करना , जनपद वासियों से मिलना था। धम्म संबंधी अनुशासन और प्रश्न करना होता है तब से देवताओं के प्रिय राजा प्रियदर्शी को दूसरे क्षेत्र में इस प्रकार की यात्राओं में बहुत प्रसन्नता मिलती है । किन्तु कौटिल्य और कालिदास इसे अच्छा बतलाते हैं । कालिदास ने अभिज्ञानशाकुन्तलम में दुष्यंत की शिकार यात्रा का वर्णन किया है जैसे कोई दैनिक अभियान हो । उनके कथनानुसार ये दो प्रकार के थे ।

जिनमें से एक प्रकार के उत्सवों में जनता को स्वादिष्ट भोजन कराया जाता था , दूसरे में नृत्य , संगीत , मत्सय युद्ध एवं अन्य कला प्रदर्शनों का आयोजन होता था । समाज एक प्रकार का विस्तीर्ण अखाड़ा या मैदान था जिसके चतुर्दिक दर्शकों के लिए मंच बने रहते थे ।

संभवत पुरुष अपनी विलासिता के लिए कई विवाह कर सकता था किन्तु ऐसे उदाहरण कहीं नहीं मिलते है कि स्त्रियों ने बहु विवाह किए हो। यह तो निश्चित है कि जब अशोक को अनेक रानियॉ थी तो ये वन में अवश्य आपस में ईर्ष्या द्वेश के कारण राज परिवार में शान्ति नहीं रहने देती होंगी । उसके बारे में कहा गया है कि ये उसको महती कामवासना की दृष्टि रखता होगा । किंवदन्ती के अनुसार अपने पिता के समय में अशोक जब उज्जैन का राज्यपाल था तब विदिशा में रहने वाली एक सैठी जाति की स्त्री से उसके संबंध धनिष्ठ हो गए थे । तत्कालीन विवाह की प्रथा पर भी प्रकाश पड़ता है । उदाहरण उक्त दृष्टान्तों के अतिरिक्त कौटिल्य नें भी स्त्रियों को अवस्था पर प्रकाश डालता है। उसके अनुसार राजा के यहाँ नियमित रूप से कुछ गणिका नियुक रहता था , जिनको तीन गाणिकाऐं थीं । अंतःपुर की मानी जाने वाली राजधानी जिसे पाटलिपुत्र में ही नहीं बल्कि अन्य प्रांतों में भी है ।

यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो ऐसा लगता होता है कि अशोक की विवाहित रानियों के अतिरिक अन्य स्त्रियों को भी अषोक ने अपने अंतःपुर में रखा था। जिन गणिकाओं की उम्र ढलने लगता था वे राजप्रासाद से भंडारागार या रसोई में कार्य हेतु दी जाती थीं। उन्हें २४,००० पण की राशि बढ़ा करके दी जाती थी। कोई भी गणिका दूसरे प्रकार का काम करने के लिए उक्त कार्य से मुक्ति प्राप्त कर सकती थी । राजा के सम्मुख नृत्य तथा गायन के लिए आठ वर्ष से अधिक वायु की लड़कियों नियुक्त की जाती थीं ।

ये सब प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित रहती थी , मानो संभव है कि किसी पर चढ़ाई करने जा रही थीं। यात्रा भी जीवन के प्रारंभिक वर्षों में इस प्रकार की रही हो । इसका कथन है कि आम तौर पर डा० मण्डारकर का कहना है कि प्राचीन भारत में स्त्रियाँ की स्थिति का पर्याप्त से पता चलता है। बहुत समय पहले तक इस प्रथा का पता चलता है । कहते है कि, उसका अर्थ है महिलावों के रहने का और कार्य उसके अनुरूप हो , वास्तव में अंतःपुर का उत्सव है , जिसके बारे में वहाँ न केवल उसके निर्माण को बताई गई है , बल्कि बाहरी व्यक्तियों से उसको रक्षा का उपाय मात्र बताया गया है । मैगास्थनीज स्त्रियों की अवस्था पर प्रकाश डालता है ।

उसने चंद्रगुप्त मौर्य को मृगया यात्रा का उल्लेख किया है जिसमें वो चतुर्दिक स्त्रियों से घिरा रहता था । उसके पास दो या तीन स्त्रियां साथ होता था , युवतियों में से युद्ध रथों में , कुछ अश्वों पर तथा कतिपय हाथियों पर आसीन रहती थीं । रामायण में भी स्त्रियों को पर्दे में रखने की प्रथा का पता चलता था। वैसे पर्दे का प्रथा भारत में मुसलमानों के साथ आई थी जैसा कि पहले भी आया था। पर इससे गलत धारणा और नहीं होती । भास और कालिदास के नाटकों को पढ़ने से इसमें कोई पता नहीं चलता है कि उनके समय में पर्दा प्रचलित था । उसका समस्त उदाहरण के माध्यम से यह कहा जा सकता है कि समाज में नारी को अवस्था संतोषप्रद नहीं थी ।

बड़ा विलक्षण बात तो यह है कि शिकार यात्रा में स्त्रियों को उपस्थिति न जाने क्या महत्व रखता होगा। अब यहाँ उसे समाज में प्रचलित पदप्रिया का परिचायक माना गया है । प्रत्येक को यह स्वाभाविक प्रवृति है कि वह अपने व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में कुछ गोपनीयता चाहता है । वात्स्यायन के जो तीसरी शताब्दी ई० पूर्व की पुष्टि होती है यहॉ पर जिसमें सूर्यपश्या शब्द में लिखा है सूर्यपस्या राज्या में कह कर प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। पाणिनि ने भी ऐसा उल्लेख दिया है और व्याख्या करने में स्वयं नहीं बल्कि राजा कों दिया गया है तो इसका यह अर्थ है कि पाणिनि के समय में राजा को परंपरागत उदाहरण के रूप में देखा जाता है। संभव है समाज में उनके लिए जो मर्यादाऐं दी गई थी उनका पालन करती होंगी।

ऐसा प्रतीत नहीं होता और जहाँ तक राज परिवारों में पर्दा प्रथा का संबंध है अर्थशास्त्र आदि में जो शब्द उल्लिखित है वह कदापि पर्दा प्रथा का नहीं है रानियाँ यदि बंधनो में रहती थी तो इसका अर्थ यह सर्वथा नहीं है कि वे पर्दा करती थीं । क्योंकि साँची की वेदी में स्त्रियों का इल्जों पर खड़े होकर राजकीय रथयात्रा के दृश्य को देखना , तथा पूर्वी द्वार के नीचे वाले तोरण पर शोक का तिष्परक्षिता के साथ की पूजा का दृश्य जिसमें कि रानो पर्दा रहित खड़ा है , ये सब प्रमाण पर्दा प्रथा के अस्तित्व से कदापि सिद्ध नहीं करते । सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात तो

यह है कि उस समय भी स्त्रीयां पर्दा में रहती थी, परन्तु यह राज धरानो तक ही सीमित था सामान्य जनता के लिए ये सब अनिवार्य नहीं था ।

रानियां अंतःपुर में बंद रहता थी कि उन्हें बाहर आने का अवसर भी नहीं मिलता था , किन्तु यह पर्दाप्रथा का होना यह समाज में भी पर्दा प्रथा का प्रचलन था । यहाँ साहित्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उदयन के द्वारा पद्मावती के प्रति कहे गए एक वाक्य के आधार पर ही पर्दा प्रथा का प्रचलन उस काल में मान लिया गया है , किन्तु यदि उनके द्वारा कथित वाक्य की ओर देखा जाए तो उसका अर्थ निकलता दीखता है । पद्मावती कुछ लोगो के आने का समाचार सुनकर पद्मावती राजा के पास से उठकर जाने लगता है तब राजा के द्वारा यह पूछे जाने पर कि तुम क्यों जा रहा हो तो पद्मावती उत्तर देती है , कि आर्यपुत्र की दूसरी पत्नी होने से उन्हे देख कर पद्मावती को देखकर उन्हें दुख होगा , यह सोचकर पद्मावती वहाँ से पलायन करना चाहती है कि इसलिए कि वह पर पुरुष से पर्दा करती थी । पर्दा – प्रथा के जो उदाहरण पाणिनि और कामसूत्र के दिए हैं , उनके विषय में केवल यही कहा जा सकता है, ये इस प्रकार यह प्रथा केवल राजपरिवारों तक ही सीमित रही होगी । सामान्य जनता के बीच में पर्दा प्रथा के अस्तित्व पर प्रकाश नहीं पड़ता ।

पत्नियों को उत्सव आदि मनोरंजनों में सम्मिलित नहीं होने देते ,यह कोई सामाजिक नियम नहीं है कि पत्नियों को घर से बाहर न निकलने दिया जाए । स्त्री शिक्षा के विषय में मेगास्थनीज का कथन है कि वो पत्नियों को दर्शन के रहस्यों से परिचित नहीं कराते थे क्योंकि पत्नी यदि उच्छृंखल स्वभाव हुई तो इस बात का भय रहता था कि वह कहां थे। रहस्य उन लोगों को पता है और यदि वह सच्चरित्र हुई तो अपने पति को छोड़कर चली जा सकती थी , क्योंकि जिसने भी सुख तथा दुख , जीवन तथा मृत्यु की तिरस्कार की दृष्टि से देखना सीख लिया हो , वह कभी भी दूसरे के नियंत्रण में रहना पसंद नहीं करेगा मैनाती का यह कथन पूर्णतः सत्य भले ही न ही किन्तु इतना तो निश्चित है कि इस युग में स्त्री शिक्षा की अपेक्षा हो रहा था ।

स्त्रियां वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकती थी , मनुस्मृति में भी स्त्रियों के वैदिक मंत्रों के उच्चारण को वर्जित बताया है स्त्रियों और शूद्रो को यह अधिकार नहीं था। इतना ही संभव है कि कौटिल्य के बाद के काल में राज परिवार में कुछ वंशों में पर्दा प्रचलित हो गई होगी, किन्तु समाज में संभवत इसका अस्तित्व नहीं था इन समस्त दृश्यों के माध्यम से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अशोक कालीन समाज में पर्दा प्रथा के अस्तित्व को स्वीकार न करना है ।

उनके स्थान पर पुरोहित वर्ग मंत्रोच्चारण करते थे । ब्राहमणो को उच्च स्थान प्राप्त था। शिक्षा के अधिकार भी स्त्रीयों को नहीं था। यह कारण भी था कि ऐसी स्थिति में स्त्रियों में अंधविश्वासों का प्रचलन रहा होगा। यह भी कोई आश्चर्य नहीं । अशोक स्वयं नवम् शिलालेख में उल्लेख करता है कि स्त्रियाँ उस काल में अनेक मंगलाचार करती थीं , जिन्हें कि वह सर्वथा अच्छा समझता है ।

अपने इसी प्रयोजन का पूर्ति के लिए अशोक ने नारी समाज से योग्य विदुषियों को चुन कर महामात्र को नियुक्ति की होगी संसार के इतिहास में स्त्रियों का इतने महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति का कदाचित यह प्रथम अवसर था । इसीलिए उसने उक्त क्रियाओं के स्थान पर धर्म मंगल को प्रतिष्ठिा की । अषोक को अच्छी प्रकार ज्ञात था कि यदि उसने धर्म के रीति रिवाजों को गलत बताया तो जनता उसका विरोध करेंगी।

इसलिए अशोक को यह धारणा थी कि बौद्धिक विकास के लिए कुछ क्रियाएँ जरुरी हैं । जीवन में वास्तविक महत्व नैतिकता का है । अशोक इस तथ्य से अनभिज्ञ न था कि यदि स्त्रियों का समुचित बौद्धिक विकास करना है , तो इस कार्य में पुरुषों की अपेक्षा योग्य महामात्र सफलता प्राप्त कर सकती हैं । अशोक के इस प्रयास का परिणाम क्या हुआ है . यह कहना कठिन है किन्तु इतना तो निश्चित ही है कि संघमित्रा तथा धम्मादिन्ना के सदृश विदुषियों को भी इस काल में थी ।

यदि कोई देश की उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहा है , तो इसका कारण उस देश के वासियों के नैतिक स्तर में वृद्धि ही समझना चाहिए । सम्राट अशोक इस तथ्य को भली भांति समझता था वह प्राणी का महान हितैषी था , और उसके हृदय को जीतना चाहता था , उसने उसके आध्यात्मिक और नैतिकता को प्रबल बनाने का पूर्व प्रयास किया । अशोक ने अपने अभिलेखों में प्रजा को आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित किया है । उसके ये उपदेश सैद्धान्तिक होने की अपेक्षा व्यावहारिक हैं । अशोक के काल में प्राणी के सामान्य नैतिक स्तर पर अभिलेख तो प्रकाश डालते ही हैं , इसके साथ ही मैगास्थनीज का यात्रा विवरण भी उल्लेखनीय है । मौर्यकालीन समाज का नैतिक स्तर उच्च था । यात्रा का दार्शनिकों के विषय में मत है कि ये कठोर तपश्चर्या के द्वारा अपनी आध्यात्मिक उन्नति में लीन रहते थे , उन्हें जन्म तथा मृत्यु जैसे विषयों का विस्तृत ज्ञान रहता था ।

संयमी थे , निस्संदेह उनका नैतिक प्रबल रहता होगा । वे विषय भोंगों से दूर ज्ञानप्राप्ति में संलग्न रहते होगे । यह स्वाभाविक ही किन्तु दार्शनिकों के अतिरिक्त यहाँ तक जन सामान्य का प्रश्न है कदाचित अशोक उनके नैतिक स्तर से संतुष्ट नहीं था । क्योंकि जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि जब तत्कालीन मनुष्य मांसाहार , युद्ध तथा हिंसा आदि को प्रधानता देते थे , तथा उन्हें ही सर्वथोचित समझते थे , तो वे इसका सर्वथा परित्याग कर सकते थे ।

अशोक ने व्यसन निषेध का प्रयास अवश्य किया था , किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उसके कथनों का लोगों पर तत्काल कोई प्रभाव नहीं पड़ा । उसने पंचम स्तंभलेख में प्राणिवध संबंधी कतिपय नियमों का उल्लेख किया है ।

अशोक प्रजा , सद्गुणों का प्रचार कर उनके नैतिक स्तर में वृद्धि करने का इच्छुक था और यह तो सर्वविदित ही है कि अशोक ने अपने अभिलेखों में जिन गुणों और बाजारों का उल्लेख किया है , उन्हें ही वह धर्म की संज्ञा से करता है । इस धर्म की वृद्धि के लिए सप्तम स्तंभलेख अशोक की महती चिन्ता को व्यक्त करता है । इसमें अशोक का कथन है कि यह विचार मेरे मन में उत्पन्न हुआ कि पूर्व समय में राजा लोग चाहते थे कि किस प्रकार से लोगों में धर्म को वृद्धि हो किन्तु लोगों में समुचित धर्म को उन्नति नहीं हुई ।

मैं सोचता हूं कि अब मैं किस प्रकार से लोगों को धर्मपालन में प्रवृत कर लोगों में उचित धर्म की वृद्धि की जा सके, इस भाँति धर्म सम्राट अशोक प्रजा को नैतिक उन्नति के प्रति विशेष चिन्तित दिखता है किन्तु अभिलेख में आगे वह उक्त समस्या का समाधान भी ढूंढ़ निकालता है और उनका उल्लेख करता है जो कि प्रजा के बौद्धिक विकास में अत्यधिक सहायक हैं । वातस्व जब हम अशोक के तत्संबंधी उपदेशों की समीक्षा करगे और देखेंगे कि प्रजा ने कहाँ तक इनका अनुकरण किया है ।

अशोक के समस्त धर्मोपदेश नैतिक गुणों के संबंध में एक सा उल्लेख करते हैं । भिन्नता ही कहीं नहीं दृष्टिगत होता है । ब्रह्मगिरि के लघु शिलालेख में अशोक उपदेश देता है कि माता – पिता का सेवा करनी चाहिए , प्राणियों का आदर करना चाहिए अथवा जीव – हिंसा न करना चाहिए , सत्य बोलना चाहिए इस भाँति न गुणों का प्रचार करना चाहिए । इसके साथ ही वह यह भी कहता है कि विधार्थी को अपने आचार्य की सेवा करना चाहिए और अपने जाति बंधुओं के प्रति उचित व्यवहार करना चाहिए ।

अशोक ने मनोविनोद के साथनो का उल्लेख भी अपने अभिलेखों में किया है। जिसमें उसने जनता के मनोरंजन के लिए हाथी दर्षन की प्रथा डाली थी जिसे एक समारोह की तरह जनता मनाती थी। हाथी दर्षन से मनुष्य को स्वर्ग का सुख मिलने के कारण दर्षन करवाए जाते थे। वैसे तो अशोक ने जनता को स्वयं के अपने समारोहो में खर्च न करने की आज्ञा दी थी, जिससे कि जनता का पैसा बचे और वह उस राशी को अपने काम में ले सके एवं कर्जे से भी बचा रहे।

31 ''मृगयाक्षौ दिवास्वम्नः परिषादः स्त्रियो मदः।

तौयंत्रिकं वृक्षारचा च कामजौ दशकौ गणः।।

('मनुस्मृति'– 7। 57.)

अशोक का मानना था कि सामुहिक कार्यो में उतना खर्च नहीं होता है जितना स्वयं के समारोहो में एक ही व्यक्ति को इतना खर्च करना पडे तो वह कभी न कभी कर्जदार हो ही जाता है। मनुष्य की बुद्धि उसके हृदय मे कोमल तत्वों का सृजन करता है। राजा जिन प्रयोजनों के लिए प्रासाद से बाहर जाता है। उनमें से एक शिकार को जाना। इसके शिकार पर जाने के समय बहुत बड़ा आनन्दोत्सव होता था।

इसी वृद्धि से मानवसृष्टि को एवं क्लावों की प्रेरणा दी। आदिकाल से ही मनुष्य मनोरंजन के द्वारा अपनी मनोवृद्धियों को कुछ क्षणों के लिए उत्साहित होता करता रहा है और इस प्रकार वह मौलिक साधनों के द्वारा अपने में नवीन आशा की किरण देखता है। यही कारण से वह अपने में उत्सह भरता है और अनुमान करता हुआ अपनी शक्ति या कार्यक्षमता को द्विगुणित कर अधिक साहस और मन से कार्य में तीव्रता से सहयोग देता हैं।

कदाचित अशोक ने भी अपने शासन को लोकप्रिय बनाने, मानव–जीवन के विभिन्न पद्यों का उत्थान करने तथा प्रजा की कार्यक्षमता को बढ़ाने के विधि मनोरंजनों की वृद्वि की थी। जनता को व्यसन से दूर रखने के लिए भी मनोरंजन एक अच्छा साथन था। ये मनोविनोद के साथन अशोक के जीवन के प्रांरभिक काल में शिकार के माध्यम से हिंसात्मक थे। प्रारंभिक वर्षों में वह भी वन्य राजाओं की भांति मृगया तथा इसी के सदृश वन्य हिंसात्मक मनोविनोंदों को पसंद करता था। मनोविनोदों के अंतर्गत आठवें अभिलेख मैं अशोक का कहना है कि बहुत दिन हुए राजा लोंग शिकार के लिए निकलते थे, इस यात्राओं मे मृगया (शिकार) अर्थात हिरण के शिकार का वर्णन होता है। दूसरे आमोद–प्रमोद होते थे।

अशोक की विहार यात्राओं के संबंध में जिन अन्य प्राणियों का वर्णन अशोक करता है। इनमें संगीत, गाना बजाना, नृत्य, युद्ध आदि रहे होगें। ऐसा प्रतीत होता है कि मनोरंजन के लिए मांसाहार का प्रयोग होता होगा, यह भी होती रही होंगी, क्योंकि 'आमोद–प्रमोंद' के कार्यो में स्वभाविक है कि प्रयोग मृगया के संदर्भ में हुआ है।

इस प्रकार हम देखते हैं प्रारंभ में अशोक उक्त प्रकार के समाजों का समर्थक था किन्तु जब से उसने धर्म का भी प्रचार प्रारंभ किया, डा० भण्डारकर इसको 'प्रासाव' मानते है अपने दिव्य स्वामी को वम्क्षानुसार वश सकता है किन्तु यदि विमान को रथ के समृश को है गतिमान वाहन माना जो उचित होता है।

जिनमें से एक प्रकार के उत्सवों में जनता को स्वादिष्ट मौसम के अनुसार व्यंजनयुक्त भोजन कराया जाता था, इसमें मांस का प्रमुख स्थान होता था तथा दूसरे में नृत्य, संगीत, मत्सयुद्ध एवं अन्य कला प्रदर्शनों का आयोजन होता था। अर्थात विहार यात्रा का प्रमुख उद्येय कदाचित शिकार ही था। मनु भी राजा के लिए हानिकारक जिन 10 कामबन्य व्यधनों का उल्लेख करते हैं, उनमें मृगया भी है।

इसपर प्रत्यक्ष कोई प्रकाश नहीं डालते और न ही इससे संबंधित साहित्य सामग्री भी इसका प्रमाण पा रही है। इस पर प्रकाश डालते है– मैगास्थानीज। जिन्होंने अपनी यात्रा के दोरान चंद्रगुप्त मौर्य के विषय मे लिखता है कि राजा ने धार्मिक भोजन करवाने के लिए जनता का निश्चय किया है तो जनता में उसकी प्रशंसा अधिक होने लगी थी। इसका का तात्पर्य कोई घोषणा करना से है। राज्य प्रथा है कि जैसा महाभारत में पाडवों के यात्रा का उल्लेख मिलता है जिसमें वे द्रोपदी के साथ आखेट करने जाते है और रामायण में भी हिरण का षिकार करने का वृत्तांत आता है। सीता के द्वारा राम को आग्रह किया जाता है कि वह उनके लिए सुंदर हिरण का शिकार करके लाए। जिसके कारण ही सीता को रावण हरण करके ले जाता है।

मृग्या का शिकार प्राचीन काल से ही होता आया था। इसी प्रकार अशोक के काल के भी वर्णन मिलता है कि अशोक भी शिकार करने जाता था। किन्तु उसका विहार यात्रा में मृगया या आखेट की कल्पना करना ही व्यर्थ है, क्योंकि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था।

32 राजा का कर्तव्य है कि अमात्य आदि प्रकृतिर्चांके क्षय, लोभ तथा विराग के कारणों को उत्पन्न नहीं होने दे। यदि ऐसा हुआ भी है तो उनको तत्काल नष्ट कर दिया जाए।

(कौटिल्य अर्थषास्त्र अध्याय 5 प्रकरण 108–110 षाड्गुण्य, ष्लोक नं 49)

यह अशोक अपने प्रदर्शन से प्रजा को यह दिखाना चाहता था कि वह अहिंसा का पुजारी है। वह प्रजा के लिए यदि पृण्य किया जाए तो क्या स्वर्ग प्राप्त हो जाता है तो यह एक प्रजा में प्रसिाद्धी पाने का तरीका भी था। उसका सुफल प्राप्त होता है। अशोक का संभवतः यह विचार सही भी था। इस स्थल पर ''समाज'' शब्द का भी प्रयोग हुआ है। जो समाज में आमोद प्रमोद के लिए है।

अतएव राजकार्य ने उनके इस मनोविनोद से कार्यो में भी सहायता होती होगी जो उपस्थित होती होगी। मृग्या का शिकार करने को धर्मशास्त्रों में और राजशास्त्र के लेखकों ने मृगया वध की निन्दा की है। बुद्ध ने भी किया हो किन्तु अग्निस्कंधों के प्रदर्शन के द्वारा अशोक अपनी प्रजा

को कदाचित यह दिखलाना चाहता था कि धर्मानुधरण से मनुष्य के मन का अंधकार दूर हो जाता है। कालिदास ने ''अभिज्ञाभशाकुन्तलम'' में भी मृग्या शब्द का प्रयोग किया है जिसमे शकुंतला का भरत को मिलना भी शिकार पर ही वर्णन आता है। विमान को देखने की बात भी मनोरंजन मे आती है , परन्तु यह धर्म से जुडा होने के कारण इसे प्रजा की परलोक कामना से हुई है।

इस प्रकार एव प्रदर्शन से अशोक के दो उद्देश्य पूर्ण होते थे। एक वह धर्म प्रचार हो जाता था और दूसरे प्रजा का मनोरंजन भी हो जाता था। क्योंकि ऐसा स्वरूप मनोविनोद जिससे प्रजा की मनोरंजन भी हो ऐसे कार्य से जनता में उत्साह भी बना रहता था और साथ ही उनका आध्यात्मिक सोच मे भी बदलाव

अराजक राज्य नहीं होता वही नट और नर्तक भी बहुत प्रसन्न रहते हैं। जो राष्ट्र के वर्चस्व को बढ़ाने वाले राजा के राज्य में समाज और उत्सव होते ही हैं।

तब से देवताओं के प्रिय राजा प्रियदर्शी को दूसरे क्षेत्र में इस प्रकार की यात्राओं में बहुत आनंद आता है। ऐसे में क्या ये यह कहना कठिन है। संभव है कि हाथी के सदृश ही अन्य तीन पशु भी क्या–अश्व, सिंह और वृषभ जिनका स्तंभ आदि जिसका वर्णन बुद्ध की महिमा पर प्रतिष्ठित किया जाना भी महात्मा बुद्ध के अस्तित्व को और उनके विचारो को स्पष्ट करता है, उक्त अन्य दिव्य रूपों के अंतर्गत किसी न किसी रूप में दिखाए जाते हो। रामायण में भी राजा दशरथ के शासन का प्रशंसा करते हुए यह लिखा गया है कि दशरथ के राज्य में पूर्ण सुख और शन्ति थी, तभी तौ सभव और उत्सवों को आयोजन होता होगा तभी तो अश्वमेथ यज्ञ होते थे। विमान द्वारा यह लोगों के सम्मुख स्वर्गीय सुखों का प्रदर्शन करता है और हाथी के दर्शन से उसके द्वारा जिसका सहारा उस सुख की प्राप्ति कराता है इस विचार से भी होता था। जो सबके कल्याण का हो।

33 उपाया, सामोपप्रदान भेददण्डा।।49।।

सम, दान, दण्ड, भेद चार उपाय है।

(कौटिल्य अर्थषास्त्र अध्यक्ष प्रचार अध्याय 10 प्रकरण 28 षासनाधिकार, ष्लोक नं 49)

अशोक ने अभिषेक के दस वर्ष बाद अशोक ने मृगया आदि हिंसात्मक मनोविनोदों का त्याग कर दिया था। अशोक का रूझान बौद्ध धर्म की ओर बढ़ने के कारण अशोक को अब प्रजा के लिए कार्य करने थे।

अशोक ने अपने प्रथम शिलालेख में जो ''समाज'' शब्द का प्रयोग किया था तब से उसने धर्मसमाजों को छोड़कर सब प्रकार के समाजों का त्याग कर दिया। इसका क्या कारण हो सकता है। उसका क्या अर्थ है, यह स्पष्ट नही होता। किन्तु इतना तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि यह मनोविनोद के साधनों में भी इसका प्रभाव एकदम था। समाज कई प्रकार के थे। बौद्ध साहित्य में तीन प्रकार के समाजों को उल्लेख मिलता है।

34 देवताओं के प्रिय प्रियदर्षी राजा ने यह धर्म लिपि लिखवाई। इस राज्य में कोई जीव मार कर बलि नहीं करना चाहिए।

(अषोक कालीन धार्मिक अभिलेख, गौरीषंकर ओझा एवं ष्याम सुन्दर दास विजय कुमार माधुर भारतीय कला प्रकाषक दिल्ली 2002 पृ 5)

बौद्ध धर्म में प्रचलित सिद्धंतो के अनुसार महात्मा बुद्ध को सुसज्जित श्वेत हाथी के रूप के क्रम में अपनी माता के गर्व में प्रवेश किया था। जिसने संसार को बौद्ध धर्म का ज्ञान दिया था। अशोक का भी यह मानना था कि जनता के लिए यह एक धर्म का ज्ञान देने का साधन होगा। अशोक ने जनता के लिए जो समारोह आयोजित किए थे। अशोक ने धर्म के नाम पर हो रहे आडंवरों के खिलाफ भी कार्य किया। कौटिल्य ने भी लिखा है कि मंत्र को पढने से ताले टूट जाते है और घर के लोग सो जाते है।

जिसमें नाच गाना–बजाना और खाना–पीना किया जाता था। डा. भण्डारकर इसे उत्सव मानते हैं। श्वेत हाथी को बुद्ध का प्रतीक मानकर बौद्धधर्म मे हाथी की पूजा करने का विधान था या पूजा होती है। कालसी शिलालेख में अशोक के धर्म प्रचार के साथ ही हाथी का चित्र अंकित किया गया है। जिसमें अशोक ने लिखवाया है सदा 'पूजयमै' अर्थात श्रेष्ठतम हाथी। जिससे प्रतीत होता है कि अशोक बौद्व धर्म को बडा ही मानने वाला था।

35 (डा. भण्डारकर – वही– पृ. – 16.)

बी. मूजमदार ''समाज'' का अर्थ ''प्रेक्षणक'' या ''नाटक'' करते हैं। उनको अपने मत के समर्थन में उन्होंने कामसूत्र का प्रमाण दिया है। जातक में भी समाज नाटक के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कालांतर में विसेंट स्मिथ ने भी एम. बी. मूजमदार के मत को स्वीकार कर समर्थन करते है और समाज का अर्थ ''नाटक'' माना है। किन्तु कौटिल्य और कालिदास उसे अच्छा बतलाते हैं। महाभारत में भी समाज शब्द प्रयुक्त हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि कृष्ण ने कंस का वध एक ''समाज'' के बीच में किया था। रामायण में भी उल्लेख आता है कि राज्यों के राजाओ की समृद्धी भी उनके मनोरंजन के कार्यो के करने के लिए प्रयोग होने वाले कर्मचारियों की प्रसन्नता होना आवश्यक है।

संभव है कि इस प्रतीक का संबंध महात्मा युद्ध के जीवन से ही हो रहा था। इन्हें उत्सवों के साथ ही प्रयुक्त किया गया है। महात्मा बुद्व के समय में भी राजाओं का काफी वर्चस्व था जिसमें वैशाली जैसे राज्य थे। किन्तु अपने प्रथम शिलालेख में अशोक उल्लेख करता है कि–

न च समाजो कर्तव्यौ अस्ति पि तु एकषा समाजा साधुमता''.

फलतः समाज के उपर्युक्त विवरण पर विचार कर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अशोक के समय में ''समाज'' दो रूपों में प्रतिष्ठित रहा होगा।

पहले प्रकार के समाज जिनमें कि मांसाहार या चिंता होती थी।

दूसरे वे पूर्णतया मनोविनोद की दृष्टि से ही प्रतिष्ठित थे।

अशोक संभव है कि वह अपने पूर्वज चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही शिकार आदि मनोविनादों को पसंद करता रहा हों। इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि अपने अष्टम शिलालेख में ही अशोक का आगे कथन है कि देवताओं के प्रिय राजा प्रियवंर्शी ने अपने अभिषेक के दस वर्ष पश्चात् संबौधि (बौधि वृक्ष) यात्रा को। इस प्रश्न का उत्तर वह स्वंय प्रथम शिलालेख में देता हुआ कहता है किः–

''न च समाजौ कतव्यौ बहुतां हि दौहं

समाजम्हि पक्षति देवानं प्रियौ''

अर्थात् समाज में उसने बहुत से दोष वैसे इसीलिए उनका निषेध कर दिया। उच्च अवसर पर एकत्र हुए लोगों की संबोधन, के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अशोक विहारयात्रा संबंधी विवरण में केवल शिकार का ही उल्लैख करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजा मृगया अत्यधिक करने लगे थे। इस पर बौद्ध साहित्य प्रकाश डालता है। इसके साथ ही नाटकों में पशुवध के प्रसंग पर यद्यार्थ में जीवित पुश की हत्या की जाती थी। एक अन्य स्थल पर बौद्ध साहित्य में किंचित हैं कि लोग ''समाज'' करके उपद्रव करते थे। मैने प्रजा को अग्निसंघर्ष और ज्यातिसंबंधह दिवार, तक वह यह दिखावा होना कि अगले जन्म में देवता बन जाने पर धर्मिक व्यक्तियों के शरीरों से किस प्रकार का ज्वाला निकलती है।

चूँकि इन समस्त दृश्यों से लोगों का नैतिक स्तर निम्न होता था, अतऐव अशोक के मंगल समाजों को छोड़कर शेष समस्त समाजों पर प्रतिबंध कर दिया जाता था या लगा दिया था। यह हम इस तथ्य का परीक्षण करेगें कि अशोक के वर्ण समाजों का स्मरण देखा था। अंतएव लोग इन समस्त दृश्यों का सार्वजनिक प्रदर्शन अशोक कदाचित इसलिए कराता था जिससे कि उसकी प्रजा को भूलोक में अच्छा और जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा तथा धार्मिक कर्तव्यों के पालन में उत्साहवर्धन मिलता रहा होगा।

अशोक अपने चतुर्थ शिलालेख मे कहता है कि मनोरंजन मे जनता का रूझान होने लगा था। ऐसे कई कार्यक्रमों का उल्लेक करता हुआ वर्णन करता है।

व वण देवानांप्रियता प्रियवहिनो राजों धंमचरणेन मेरोधोघो जहां दनंघौसा विमान बर्सणा थ हस्विदक्षणा च धयितंधानि व वज्ञानि च दिव्यानि स्मानि दवयित्वा व बर्धन च बहुविये धंमचरणे पडिंत बडविसवि देव मेमानंप्रियो प्रिदयसि रावा चंमचरणं।

देवताओं के प्रिय राजा बेखौफ हो के राज्य में पडिय युद्ध किसी राज्यकाय घोषणा के पूर्व मेरी धोष दिया जाता था पर मन के विमान, हस्थिन, अग्निलक्ष्यं एवं स्वंय ऐसे दश्य दिखाता जाता है जिससे कि धर्म के प्रचार में ओर अधिक वृद्धि हो। लेखको का मत है कि समाज एक प्रकार का वर्णन होना या संभव था जिसके लिए दर्शकों के लिए मंच बने रहते थे। जिससे प्रतीत होता है।

लेखकों का मत है विमानवल्यु नामक ग्रंथ में विमानाधि को पुरस्कारों को सभा पर गई हे जो कि धर्मयुक्त को मानव जन्म में प्राप्त होते हैं, यह वह अपने गुणों की अनुसार रूक न जाए। एक नए प्रकार का देव दर्शन होता था। बूलर इसका अर्थ ''उत्सव सभा'' करते हैं, विसेंट स्मिथ का कथन है कि समाज एक उत्सव था जिसे जनता के बीच में इकटठे हो कर जो कि पाटलिपुत्र (राजधानी) में वर्ष में एक बार मनाया जाता था

अब हम उक्त दृश्यों को पृथक एवं विवेचना करने का प्रयास करेगें जिनसे प्रजा का मनोविनोद करवाता था और आखेट की तरफ अधिक ध्यान न जाए तो भी अच्छा था।

. अशोक के शासन में राजकीय समाज– इसके अंतर्गत नृत्य, गान, दावत और मांसाहारादि प्रचलित थे। जिसमे जनता का मनोरंजन होता था। भाव भंगीमाओं के साथ एवं वाद्ययंत्रों के साथ मनोरंजन होने से लोगों में विभिन्न प्रकार की कलाओं का भी ज्ञान बढ़ता था।

पुष्पों का प्रयोग यह प्रतीत करता है कि इसका उपयागे करना उचित है। पुष्पाचरण करने से मनुष्यों को देवतावों को पदवी मिलती है और स्वर्गलोक को प्राप्त करने की जिज्ञासा होकर वे विमान का सुख पाने के लिए भी इसमें भाग लेते हैं। धर्मसमाज के लिए ये एक नए प्रकार का मनोरंजन था।

बोधगया में इस अभिप्राय के बहुत से दृश्य मिलते हैं। यह उल्लेख भगवान बुद्ध के प्रति ही किया गया है। इस प्रकार ''घम्मयात्रा'' की प्रथा पड़ी। इन धर्मयात्राओं में ब्राहण और श्रमण मिक्षुओं का प्रभाव अधिक था। दान और उन्हे स्वर्णदान करना, जनपद दासियों से मिलना आदि के लिए वर्जित था।

शक्षि में संबंधित अनुशासन और प्रश्न करना, होता है। क्यों इसके भांति शक्षि, गौरव वीर विजय का प्रतीक 'धोला' का हाथो भी संभवतः बुद्ध के जीवन से ही संबंधित है। भगवान बुद्ध के स्थलों में भी ऐसा प्रतीत होता है कि यह मानो चट्टान को भेदकर निकल रहा है। जीवन अधंकार से प्रकाश में खो रहा हैं। यह शिक्षाऐं जनता को उनके साथ थी। यथा– कतिपय समाजों में सॉडों के मध्य युद्ध का प्रथा प्रभावित थी। जिसमें एक सांड़ की हत्या तो अवश्य होती थी।

प्रजा में हाथी के प्रदर्शन से अशोक का उदेश्य कदाचित महात्मा बुद्ध के तमृश महापुरूषो के पदचिन्हों पर चलने के लिए प्रजा को प्रेरित करना था। दूसरी बात यह भी संभावित कि इन्द्र का रावत हाथी सफेद माना जाता है। बैवस्व यह श्वेत हस्ति का प्रदर्शन यह सूचित करता होगा कि कुकर्मो करने से यह श्वेत हाथी इन्द्र के समान देवता और रावत की भॉति पुण्यात्माओं को स्वर्ग ले जाएगा और परलोक में सुविधा होगी।

डा. भण्डाकर 'विमानवस्तु'या सिग्रथं के अनुसार कहते है कि अधिकतर देवताओं का स्वरूप विरूद्ध , मुद्रण या अग्नि के उदृश्य उज्जवल होता है और इसलिए अशोक कहता है कि हाथी दर्षन से मनुष्यों में एक अच्छी भावना का विस्तार होगा।

36 (अशोक के अभिलेख –पृ 145)

जातक कथाओं में अग्निस्कंथ का उल्लेख मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक ने इसी का अनुसरण किया हो। शैव और वैष्णव दोनों मंदिरों में केवल एक तिथि का मेल होता है। नारियल का ताड़ का तना भूमि में गाड़ दिया जाता है और भूमि मंडियों तथा पताकाओं से लगाई जाती है।

प्रो. कृष्णास्वामी अयंगार ने इस संबंध में दक्षिण भारत के एक उत्सव का उल्लेख किया है। यहां के राज्य भी समृद्ध थे। दक्षिण भारत में धार्मिक उत्सव में पूर्णिमा को मंदिरों में दीपावली होती है। जब हजारों दीपक जल जाते हैं तब उस तने में आग लगा दी जाती है। हो सकता है कि अशोक के समय में भी ऐसी ही कोई प्रथा रही हो।

अग्नि दर्शन से भी प्रतीत होता है अग्नि सा देदीप्यमान होकर दिव्यता को ग्रहण करता है क्योंकि अग्नि को सदैव दिव्यता तथा तेज का प्रतीक माना गया है। चतुर्थ शिलालेख में अशोक ने जो

''अञानि च दिख्यानि रूपानि''

का वर्णन किया है। इससे ऐसा लगता होता है कि उपर्युक्त तीन दृश्यों के अतिरिक्त अन्य दृश्य भी दिखाए जाते थे।

गोपालक, पिंडारक, दोहक, मंथक तथा व्याध लोगों को तनख्वाह देकर पशुओं की रक्षा के लिए नियुक्त किया जाए।

सम्राट अशोक ने महात्मा बुद्ध के जीवन से इन पशुओं का संभंव होने के कारण ही बुद्ध के आसपास विभिन्न प्रकार के पशुओं के चित्र पाए जाने से ज्ञात होता है कि अषोक ने भी अपने साम्राज्य में चतुर्दिक स्तंभ फलकों आदि बनवाए होगे और इनका निर्माण कराया था।

उपर्युक्त विवरण से हम देखते हैं कि भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में मौर्य शासक अशोक का अपना विशेष महत्व है। वैसे इस क्षेत्र में पूर्ववर्ती मार्य शासको का भी अमूल्य योगदान रहा है। मौर्य शासकों की सुन्दर व्यापिती साम्राज्य सीमायें एवं सुसंगठित शासन व्यवस्था ने भारत को सुख शान्ति एवं समृद्धि से अनुप्राणित कर उसके सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में पर्याप्त योगदान दिया। मौर्ययुगीन समाज, अर्थव्यवस्था, कला एवं अषोक के धम्म पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, अशोक के अभिलेखों स्मारकों के अवशेषों, बौद्ध एवं जैन साहित्य, पुराण एवं यूनानी लेखकों के विवरण से प्रर्याप्त प्रकाश डाला है।

37 लोह उपकरण चित्रित धूसर पात्र कृषि में उपयोग होने वाले उपकरण प्राप्त हुए है। लोहे के प्रयोग का आरम्भ ई. पूर्व लगभग 1000 में बताया गया था। (वैदिक इण्डेक्स, जिल्द 2, पृष्ठ 340)

किसी भी समाज का मूलाधार परिवारिक संगठन का आधार माना जाता है। कौटिल्य ने राजा को वर्ण व्यवस्था बनायें रखने के लिए प्रयास करने को कहा तथा वर्ण व्यवस्था के प्रति अपने पूर्ववर्ती स्मृतिकारों के समान कठोर दृष्टिकोण नहीं रखता था। उन्होने कहा कि जिस युद्ध विद्या में कुशल एवं विनयशील क्षत्रिय सेना सर्वश्रेष्ठ होती है। उसी प्रकार वीर योद्धाओं से युक्त वैश्यों एवं शुद्रों की सेना सबसे उत्तम होती है। इसके साथ कृषि कार्य में भी सभी वर्गो के लोगों को सम्मिलित होने के लिए कहा है।

38 युद्व में हारी गई कन्या से विवाह राक्षस विवाह और बलपूर्वक किया गया विवाह पिषाच विवाह कहलाता है।

(याज्ञवलक्य स्मृति डॉ उमेष पाण्डेय, चौखम्भा संस्कृत संस्थान वाराणसी विक्रम संवत् 2065 पृ 25 ष्लोक नं 61, आचाराध्याय से।)

सम्राट अशोक के पंचम शिलालेख से समाज में अनेक वर्णों की विधमानता का पता चलता है। चारों वर्णो में बाह्मण वर्ण का सर्वाधिक सम्मान था। तृतीय शिलालेख में अशोक कहता है कि ब्राह्मणों एवं श्रवर्णों की सेवा करना उत्तम है।

मेगास्थनीज के विवरण कौटिल्य से अलग पाते है। उन्होनें सात जातियों का उल्लेख किया है। कोई भी व्यक्ति विजातीय विवाह नहीं कर सकता था और न ही व्यवसाय को बदल सकता था। यहाँ अशोक के शिलालेखों तथा बौद्ध साहित्य से विदित होता है कि जाति प्रथा एवं सामाजिक व्यवहार में लचीलापन था। चतुर्थं वर्ण व्यवस्था, चार आश्रम आदि के बारे में विस्तृत पता चलता है। किस प्रकार आश्रम व्यवस्था के बारे में स्पष्ट पता चलता है।

किस प्रकार आश्रम व्यवस्था, गुरूकुल, वानप्रस्थ, सन्यास आश्रम में मानव को जीवन यापन करना चाहिए उसका स्पष्ट उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पाते है। कौटिल्य का मत था कि यदि कोई व्यक्ति परिवारिक और सामाजिक कार्य का उचित प्रबंध किये, सन्यास ग्रहण करता है तो राजा उसे दंडित कर सकता था। यहॉ उल्लेख में दास प्रथा का जिक्र पाया गया है। अशोक के विभिन्न अभिलेखों में दासों, सेवकों, भृत्यों तथा अन्य कई प्रकार के श्रमजीवियों का उल्लेख पाते है। कौटिल्य ने दास बनने की प्रक्रिया का जिक्र किया है। तत्कालीन समाज में दासों के साथ सद्व्यवहार किया जाता था तथा उनके परिजनों द्वारा मूल्य अदा करने पर दासता से मुक्ति का जिक्र किया है।

तत्कालीन समाज में खान–पान, अचार व्यवहार सरल एवं पवित्र था, तथा उनका जीवन सुखी था। शाकाहार एवं मांसाहार दोनों प्रकार के भोजन का प्रचलन था। अशोक के शिलालेखों से विदित होता है कि मांसाहार सामान्य रूप से प्रचलित था। मांस पण्या तथा पक्क मांसिका का

उल्लेख मिला है। अशोक के रसोई घर में अनेक पशु–पक्षियों की हत्या की जाती थी। प्रथम शिलालेख में सम्राट अशोक कहते है कि उसके रसोई घर में पहले हजारो जीव मारे जाते थे किन्तु अब तीन जीव – दो मोर और एक हिरण मारे जायेंगे तथा भविष्य में इन्हें भी नहीं मारा जायेगा। मांस के साथ साथ मदिरापान का प्रचलन था। अर्थशास्त्र में ओदनिका, आरतापिकाः, पक्कान्पिण्याः, का उल्लेख मिलता है। मेगास्थनीज ने भी खाने के तरीके का जिक्र किया है। विभिन्न प्रकार के वस्त्राभूषण के प्रयोग जो उस समय उन्नत अवस्था में थी। अर्थशास्त्र में तुन्नवाय का उल्लेख पाया गया है। आभूषण स्वर्ण, मणि एवं मुक्ता द्वारा तैयार किये जाते थे। प्रसाधन के साधनों में चूर्ण, अनुलेपन आदि का उल्लेख प्राप्त हुआ है। अमोद–प्रमोद के साधनों में नट, नर्तक गायक, वादक वाग्जीवी, सौभिक, प्लवक एवं चारण थे। अशोक के अभिलेखों में विहार यात्राओं एवं समाज का उल्लेख है इनमें शिकार, मलल, चुह, नृत्यं, संगीत, घुड़दौड़ इत्यादि थे। अशोक के द्वारा विहार यात्राओं एवं समाज पर प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि मनुष्यों एवं पशुओं के मलल युद्ध में हिंसा अधिक होने लगी थी द्यूत क्रीड़ा गृह पर राज्य का नियंत्रण था।

यद्यपि मौर्य युग में कृषि मुख्य कार्य था जो वर्षा पर निर्भर थी परन्तु सिंचाई के साधनों की पर्याप्त व्यवस्था तालाबों, कुओं तथा भीलों पर बांध निर्मित करवाकर पानी को एक स्थान पर एकत्रित किया जाता था। इसका उललेख जूनागढ़ अभिलेख में मिलता हैं।

अशोक के समय पुष्यगुप्त ने इसमें कई नहरों का निर्माण करवाया था। सिंचाई के लिए अलग से कर राज्य को दिया जाता था। राजकीय भूमि पर दासों, कर्मकारों, कैदियों, कुट्टाक, मेदक, रज्जुकर्तक, सर्पग्राहि आदि रहते थे। पशुपालन पर भी राज्य की तरफ से विशेष ध्यान दिया गया था। अश्वाध्यक्ष एवं हस्ताध्यक्ष नामक पदों का विवरण पाते है। अशोक ने न केवल द्विपद अपितु चतुस्पद की चिकित्सा का समुचित प्रबंध किया था। उद्योग–धंधों का व्यापक प्रसार था। वस्त्र उद्योग प्रमुख उद्योग था। वस्त्र उद्योग पर राजकीय नियंत्रण था जिसके अध्यक्ष सूत्राध्यक्ष होते थे। काशी, वत्स, अपरान्त, बंग, मथुरा, मगध, पुण्ड, सुबज कुडय आदि प्रसिद्ध उद्योग केन्द्र थे। खान एवं धातु कर्म दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग थे। इस विभाग के अध्यक्ष आकराध्यक्ष कहलाते थे। सुरा उद्योग का भी महत्वपूर्ण स्थान था जो सुराध्यक्ष के नियंत्रण में था। इसके अलावे काष्ठ, शिल्प, चमड़ा उद्योग, रत्नाभूषण उद्योग, मृदभाण्ड कला आदि प्रमुख उद्योग था। अशोक के समय प्रस्तर (एकाश्म) से निर्मित स्तम्भ इसके महत्वूर्ण प्रमाण है। विशाल राजकीय राजमार्ग, सुरक्षा के समुचित व्यवस्था के कारण व्यापार उन्नत अवस्था की पाई जाती थी। व्यापार स्थल मार्ग के साथ–साथ नदी मार्ग से भी होता था।

References (संदर्भ ग्रन्थ सूची)

1) कौटिल्य अर्थशास्त्रः आर. रामशास्त्री मैसूर 1919

2) पणिनीय अष्ठाध्यायीः चौखम्भा बनारस

3) कालिदास ग्रन्थवली : सीताराम चतुर्वेदी अलीगढ़ 1960

4) अंगुत्तरनिकाय : पालि पब्लिकेशन बोर्ड, नालन्दा 1960

5) सुत्तनिपातः भिक्षु धर्मरत्न, सारनाथ, 1951

6) जातक : भिक्षु जे काश्यप, नालन्दा 1958

7) दीर्घनिकाय : राहुल सांकृत्यायन

8) मज्झिमनिकाय : श्रीवस्ती 1991

9) संयुक्तनिकाय : जगदीश कश्यप सारनाथ 1954

10) दिव्यदान : कावेल और नील, कैम्ब्रिज 1886

11) महावस्तु : सेनार, पेरिस 1882

12) आर्यमंजुश्रीकल्प : गणपति शास्त्री, त्रिवेन्द्रम, 1925

13) भद्रबाहु : सत्नादि

14) बृहत्कथाकोष : हरिषेण, ए.एन, उपाध्ये बम्बइ, 1943

15) महावंस : परमानन्द सिंह, वाराणसी 1996

16) ऐश्यंट इण्डिया एज : जे. डब्ल्यू, मैक्क्रिण्डम द्वारा अनुदित

17) डिस्काइबह बाई मेगस्थनीज : डॉ रमेशचन्द्र मजूमदार कलकत्ता

18) क्लासिकल एकाउण्ट्स ऑफ इंण्डिया : आर.सी. मजूमदार कलकत्ता, 1960

19) याज्ञवलक्य स्मृति डॉ उमेष पाण्डेय, चौखम्भा संस्कृत संस्थान वाराणसी विक्रम संवत् 2065

20) गुप्त और हार्डिकर : ऐश्यंट इण्डियन सिल्वर पंचमार्क्ड क्वायन्स ऑफ दि मगध मौर्य कार्षायण सिरीज, अन्जानेरी, 1985

21) गोयल, श्रीराम : प्राचीन भारतीय अभिलेख संग्रह जयपुर 1982

22) पाण्डेय, राजबली : अशोक के अभिलेख संग्रह, वाराणसी यू 2022

23) वाजपेयी अग्रवाल : ऐतिहासिक भारतीय अभिलेख जयपुर 1992

24) मुकर्जी बी.एन. स्टडीज इदन दि अरमाइक इडिक्ट्स ऑफ अशोक, कलकत्ता, 1984

25) उपाध्याय बल्देव : वैदिक साहित्य और संस्कृति

26) उपाध्याय भरत सिंह : बुद्धकालीन भारतीय भूगोल, इलाहाबाद वि.स. 2018

27) गोयल श्रीराम : चन्द्र गुप्त मौर्य मेरठ 1987, कौटिल्य एण्ड मेगस्थनीज मेरठ, 1985

28) चटोपाध्याय एस : अर्ली हिस्ट्री ऑफ नार्थ इण्डिया, कलकत्ता, 1958 बिम्बिसार टू अशोक कलकत्ता, 1977

29) थापर रोमिला : ए हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, 1966

अशोक एण्ड दि डिक्लाइन ऑफ मैर्याज, ऑक्सफोर्ड 1961 (हिन्दी सं.) दिल्ली, 1977

30) भदन्त आनंद कौसल्यायन : बौद्ध धर्म का सार 1948

31) भदन्त आनंद कौसल्यायन : बद्धु एवं उनके समकालीन भिक्षु

32) मिश्र योगेन्द्र : मैगस्थनजी का भारत विवरण, पटना, 1951

33) मिश्र योगेन्द्र : हिस्ट्री ऑफ वैशाली

34) मिश्र सुदामा : प्राचीन भारत में जनपद राज्य, वाराणसी, 1972

35) विद्या अलंकार सत्यकेतु : मौर्य साम्राज्य का इतिहास, मसूरी, 1971

36) अग्रवाल कन्हैयालाल : प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास, मसूरी, 1971

(37) मनुस्मृति : शास्त्री हरगोविन्द, चौ. सं. भ. वाराणसी वि.सं. 2069

(38) महाभारत : दुबे जगतनारायण, संजय प्रकाशन दिल्ली 1999

(39) श्रीमद्भगवद्गीता : गीताप्रेस, गोरखपुर, वि.सं. 2072

(40) श्रीमद्वाल्मीकि–रामायण : चतुर्वेदी द्वारका प्रसाद शर्मा, रामनारायणलाल पब्लिशर और बुकसेलर इलाहाबाद 1927 सं. 2000

(41) अम्बेडकर भीमराव : 'शूद्रों की खोज', गौतम बुक सेन्टर दिल्ली 2006

(42) बंदिष्टे डी. डी. : 'बुद्धिवाद', म. प्र. हि. ग्र अ. भोपाल, 2010

(43) चंचरीक के. एल. : 'विश्व की प्राचीन सभ्यताऐं', युनिवर्सिटी पब्लिकेशन दिल्ली 2011

(44) घोष इला : 'कान्ट्रिब्यूशन ऑफ वुमन टू वैदिक कल्चर' इस्टर्न बुक लिंकर्स दिल्ली 2013

(45) इन्साइक्लोपिड़ियाँ ब्रिटेनिका : 'भारतीय इतिहास' नई दुनिया न्यूज एंड नेटवर्क के सम्पादकों की प्रस्तुति प्रा. लि. इन्दौर, 2003

(46) जैन कैलाशचन्द्र : (अ) 'प्राचीन भारतीय सामाजिक एवं आर्थिक संस्थाएँ', म .प्र. हि. ग्र. अ. भोपाल 2012

(47) 'प्राचीन भारत का सामा. इति.', यूनिवर्सिटी दिल्ली 2011

(48) काणे पाण्डुरंग वामन : 'धर्म शास्त्र का इति.' अनु. अर्जुन चौबे कश्यप, हि. सं. लखनऊ जनवरी 1973

(49) मिश्र उर्मिला प्रकाश : 'प्राचीन भारत में नारी', म .प्र. हि. ग्र. अ. भोपाल 2012

(50) नन्दकुमार : 'प्राचीन भारत का सामा. इति.', अमन बुक सेन्टर दिल्ली 2012

(51) पचौरी उमाशंकर : 'इतिहास' म. प्र. हि. ग्र. अ. भोपाल 2013

(52) शुक्ल रामचन्द्र : 'मैगस्थिनीज का भारतवर्षीय वर्णन', म. प्र. हि ग्र अ. भोपाल 2004

(53) भण्डारकर : 'अशोक'

(54) वैदिक जैन और आधुनिक जीवन पुष्पराज दिल्ली प्रथम संस्करण 1996

(55) प्राचीन भारतीय मूर्ति कला एवं चित्र कला अरविन्द कुमार, मध्य प्रदेष हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल तृतीय संस्करण 2007

(56) भगवान बुद्व आर एस रमन, निधि बुक सेन्टर दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2012

(57) इन्चीलर मार्टीमर, पृथ्वी से पुरातत्व, दिल्ली विष्वविद्यालय, 1968

(58) अजंता गुहा सं 26

(59) अषोक कालीन धार्मिक अभिलेख, गौरीषंकर ओझा एवं ष्याम सुन्दर दास विजय कुमार माधुर भारतीय कला प्रकाषक दिल्ली 2002